रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम.राजेश्वर राव ने दी जानकारी

तैयारी : डिजिटल कर्ज के नियम जल्द जारी होंगे

12/02/2022

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान ब्यूरो

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर एम.राजेश्वर राव ने कहा है कि केंद्रीय बैंक जल्द ही डिजिटल कर्ज पर दिशा-निर्देश लाएगा। डिजिटल उधारी पर कार्य समूह ने पिछले साल नवंबर में ऑनलाइन मंच और मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज देने सहित डिजिटल कर्ज पर अपनी सिफारिशें दी थीं।

राव ने कहा कि आरबीआई को आम लोगों से सुझाव मिले हैं और हम उन सुझावों के आधार पर डिजिटल उधारी के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेंगे। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ऐप से डिजिटल कर्ज के बढ़ते कारोबार और इसमें कई कंपनियों के आने के बाद बेहद सतर्क और सजग रुख अपनाए हुए है। पिछले कुछ साल में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें डिजिटल कर्ज लेने वालों को जब चुकाने में थोड़ी भी देरी हुई तो उन्हें कई तरह की धमकियां मिलीं और कुछ लोगों ने तंग आकर आत्महत्या तक कर ली। ऐसे में रिजर्व बैंक डिजिटल कर्ज के बाजार को बेलगाम नहीं छोड़ना चाहता है और उन्हें सख्त नियामकीय दायरे में लाने की तैयारी में जुटा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई डिजिटल कर्ज की उपभोक्ताओं तक आसान पहुंच की क्षमता को भी कम नहीं करना चाहता है। साथ ही उपभोक्ताओ और कर्ज दाताओं के हितों के साथ किसी कीमत पर समझौता भी नहीं करना चाहता है।

जनता से भी मांगा था आरबीआई ने सुझाव

डिजिटल उधारी के बढ़ते कारोबार को लेकर आरबीआई बेहद सजग है। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में जनता से सुझाव मांगे थे, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी। जबकि इसके लिए जो कार्यबल का गठन किया गया था वह नवंबर में भी अपनी सिफारिश आरबीआई को दे चुका है। आरबीआई जल्द ही दिशा-निर्देश सार्वजनिक करने की तैयारी में है।

गैरकानूनी लेंडिंग ऐप पर कसेगा शिकंजा

आरबीआई केकार्यबल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आधे से अधिक लेंडिंग ऐप गैरकानूनी हैं। लीफ फिनटेक के एमडी एवं सीईओ मिलिंद गोवर्धन ने हिन्दुस्तान को बताया कि आरबीआई के निमयन का कदम सराहनीय है। प्रस्तावित मानदंड यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम ग्राहक को एक निष्पक्ष और पारदर्शी सौदा प्राप्त होगा। साथ ही यह उद्योग के लिए सही नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।